पी. जी.

अमरजीत चौधरी, माननीय न्यायमूर्ति

मोहिंदर सिंह,-याचिकाकर्ता,

बनाम

आयुक्त, कर्मचारी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, सोनीपत और अन्य *-उत्तरदाता*

1988 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 3902

27 सितंबर, 1990

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 *&* 227*–*श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, *1923,- नियम 10* (1)-40 *प्रतिशत* अक्षमता *से पीड़ित घायल* कर्मचारी-दुर्घटना *के बाद कर्मचारी* सेवा *में बना रहा-दुर्घटना के तुरंत बाद मुआवजे के लिए सूचना-दो साल* के *बाद मुआवजे के लिए आवेदन-श्रमिकों का दावा-क्या दावा समय द्वारा वर्जित है?*

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता घटना के बाद भी समान वेतन पर उत्तरदाताओ के यहाँ रोजगार में बना रहा।उन्होंने 12 जून, 1984 को श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के नियम 10 (1) के तहत दुर्घटना की सूचना दी थी और इस उम्मीद के साथ काफी इंतजार किया था कि उनका नियोक्ता उनके दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।यह तथ्य कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी के रोजगार में बना रहा, निर्धारित अवधि के भीतर दावे को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण था क्योंकि उसने रोजगार के दौरान चोट लगने के बाद भी समान वेतन प्राप्त करना जारी रखा और इस विश्वास के साथ रहा कि उसका नियोक्ता उसके दावे का निराकरण करेगा।

(पैरा 6)

भारत *के संविधान* के *अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि;*

(i) *आयुक्त, प्रतिवादी संख्या 1, द्वारा पारित 29 अक्टूबर, 1987 के आदेश(संलग्नक P-4 को* रद्द *करते हुए सर्शियोररी /परमादेश या इस* तरह *के अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, और इसके साथ ही आयुक्त को याचिकाकर्ता की दावा याचिका पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए;*

(ii) *ऐसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश, जिसे तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित माना जा सकता है, याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ जारी किया जाये ।*

(iii) *संलग्नक पी-1 और पी-4 की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने अनिवार्यता से छूट दी जाए।*

(iv) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करने छूट दी जाये।

(v) माननीय न्यायालय के अवलोकन हेतु मामले के रिकॉर्ड

मंगाए जाये।

(vi) *इस रिट याचिका से संबंधित खर्चा याचिकाकर्ता को दिया जाये*

याचिकाकर्ता की तरफ़ से श्री अरुण जैन, अधिवक्ता और श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रतिवादियों की तरफ़ से कोई नहीं।

निर्णय

अमरजीत चौधरी, माननीय न्यायमूर्ति

(1) याचिकाकर्ता, जो प्रतिवादी विभाग में एक मैकेनिक है, ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत आयुक्त द्वारा पारित 29 अक्टूबर, 1987 के आदेश को रद्द करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ता के दावे को गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए आगे के निर्देश के लिए प्रार्थना की।

(2) मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता सोनीपत डिपो में प्रतिवादी विभाग

के साथ मैकेनिक के रूप में काम करते समय 13 अप्रैल, 1984 को काम करने के दौरान हुई एक दुर्घटना में व्यक्तिगत रूप से घायल हो गया था। दुर्घटना के दिन, जब याचिकाकर्ता बस की मरम्मत कर रहा था, जैक फिसल गया और उसकी चेसिस याचिकाकर्ता के बाएं हाथ पर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे गंभीर स्थायी चोट लगी, जिससे उसके बाएं हाथ की तीन उंगलियां स्थायी रूप से अक्षम हो गईं। इस प्रकार याचिकाकर्ता 40 प्रतिशत विकलांगता का शिकार हो गया। इस दुर्घटना की सूचना याचिकाकर्ता द्वारा 12 जून, 1984 को महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, सोनीपत को दी गई थी। चूंकि प्रतिवादी विभाग ने याचिकाकर्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया, इसलिए उसके पास आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 31 जुलाई, 1986 को हरियाणा राज्य रोडवेज, सोनीपत डिपो के खिलाफ मुआवजा (अनुलग्नक पी/2) जिसमें यह कहा गया था कि 13 अप्रैल, 1984 को उसकी दुर्घटना हुई और वह 40 प्रतिशत स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा और इस प्रकार वह 10,800 रुपये का मुआवजा पाने का हकदार था। उनके दावे को कार्यालय द्वारा दावों के रजिस्टर में दर्ज किया गया था और मामले को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया गया था। प्रतिवादी ने लिखित बयान दाखिल किया और निम्नलिखित मुद्दा तय किया गया।

क्या याचिकाकर्ता का दावा समय से बाधित है और यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत आयुक्त ने इस आधार पर दावे पर विचार करने से इनकार कर दिया कि यह दावा परिसीमन अवधि यानी दो साल के भीतर नहीं किया गया था और बिना किसी कार्यवाही के इसे खारिज कर दिया।

(3) रिट याचिका 13 मई, 1988 को स्वीकार की गई थी लेकिन प्रतिवादी ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया था। इस प्रकार मामले के तथ्य निर्विवाद बने हुए हैं। इसके अलावा, याचिका की अंतिम सुनवाई के समय, प्रतिवादी-राज्य की

ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

(4) यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के नियम 10 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार 12 जून, 1984 को दुर्घटना की सूचना दी थी और इंतजार करता रहा कि विभाग सहानुभूतिपूर्वक उसके दावे पर विचार करेगा और उनके साथ काम करता रहा। इसलिए, यह अपने आप में परिसीमन के विस्तार के लिए एक अच्छा आधार था।

(5) मैंने अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और पेपर-बुक का अवलोकन किया है।

(6) याचिकाकर्ता घटना के बाद भी प्रतिवादियों के साथ उसी वेतन पर कार्यरत रहा। उन्होंने 12 जून, 1984 को दुर्घटना की सूचना दी थी, जिसकी प्रति कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के नियम 10(1) के तहत आवश्यक रिट याचिका के अनुलग्नक पी-1 के रूप में संलग्न है और इस उम्मीद के साथ काफी इंतजार किया था कि उनका नियोक्ता उनके दावे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं के साथ रोजगार में बना रहा, उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर दावा पेश न करने का पर्याप्त कारण था क्योंकि रोजगार के दौरान चोट लगने के बाद भी वह समान वेतन प्राप्त करता रहा और इस विश्वास में रहा कि उसका नियोक्ता उसके दावे का निपटान करेगा. सईद अहमद बनाम उत्तर पूर्वी रेलवे, लाहौर (1) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां एक कर्मचारी को दुर्घटना के बाद उसी कार्यशाला में उसी नियोक्ता द्वारा फिर से नियोजित किया जाता है, यह तथ्य अपने आप में सीमा अवधि के भीतर कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण है। इसी तरह केसोराम कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम बाल गोबिंद (2) में कहा गया है कि जिस श्रमिक की कार्य क्षमता रोजगार के दौरान कम हो गई थी, उसे हल्के काम पर रोजगार में बने रहने की अनुमति दी गई थी। कुछ समय बाद उसे अपनी मूल नौकरी पर लौटने के लिए कहा गया जिस पर वह अक्षम हो गया था। आयुक्त ने यह विचार किया कि कर्मचारी के पास नियोक्ता साथ टकराव न करने और सीमा के भीतर दावे को फाइल ना करने के पर्याप्त कारण थे जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और जब तक उसे समान वेतन पर हल्के काम के रूप में एक प्रकार का मुआवजा मिल रहा हो।

(7) उपरोक्त कारणों और कानून के अच्छी तरह से स्थापित प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और 29 अक्टूबर, 1987 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी-4) को रद्द कर दिया जाता है और मामले को निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के पास वापस भेज दिया जाता है। याचिकाकर्ता का दावा गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से किया जाए। पार्टियों द्वारा अपना खर्चा स्वयं वहन किया जाएगा।

(8) याचिकाकर्ता को निर्देशों के लिए 30 अक्टूबर, 1990 को आयुक्त, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, सोनीपत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वीरेंद्र कुमार
प्रीक्षिशु न्यायिक अधिकारी